पटना में दिनांक–05 मई, 2017 शुक्रवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

1. बिहार गृह रक्षा वहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम 5 (iii) में संशोधन एवं नियम–5 (vi) के पश्चात नियम–5 (vi) (क) एवं नियम–10 (v) के पश्चात नियम–10 (vi) अंतः स्थापित करने के सबंध में। — 1. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

2. बिहार अग्निशाम सेवा अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण भवनों में अग्नि से सुरक्षा हेतु पद सृजन के संबंध में। — 2. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

3. राज्य के समेकित शोधन निधि (Consolidated Sinking Fund) स्कीम में संशोधन के संबंध में। — 3. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

4. श्री भृगुनाथ तिवारी, सेवानिवृत्त अनुवाद पदाधिकारी (से०नि०–30.04.2011) की 66 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 के कंडिका–(2)(ख)(v) के प्रावधानुसार, सहायक निदेशक (अनुवाद)–सह– सहायक विधान काउन्सिल के रिक्त पद के विरूद्ध, संविदा के आधार पर दिनांक–02.04.2017 से अगले एक वर्ष तक या उक्त पद पर नियमित पदस्थापन होने तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियोजित किये जाने के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

5. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद को न्यायिक सेवा में पुनः बहाल करने के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

6. जल संसाधन विभाग के अधीन बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र (FMISC), पटना के नियंत्रण में विश्व बैंक सम्पोषित बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना अन्तर्गत उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) के लिए गणितीय प्रतिमान केन्द्र (Mathematical Modelling Centre) के सुचारू संचालन हेतु एक समर्पित दल (Dedicated team) का तकनीकी/विशेषज्ञ सम्वर्ग (Technical/Specialist Cadre) के गठन की स्वीकृति। — 6. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

7. राज्य आपदा रिस्पांस बल में भारतीय सेना/नौसेना के सेवानिवृत्त कमीशन प्राप्त/जूनियर कमीशन प्राप्त/नन कमीशन प्राप्त अधिकारी एवं जवानों तथा बिहार गृह रक्षा वाहिनी (स्पेशल बटालियन) के जवानों की संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं० 698/आ०प्र०, दिनांक– 16.03.2010 की कंडिका 5(iii) में वर्णित नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करने के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

8. बिहार राज्य के सभी जिलों में गठित पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी को अधिसूचित करने की स्वीकृति। — 8. **स्वीकृत।**